डीजी परिपत्र संख्या–4[illegible]/2024

प्रशान्त कुमार, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.:0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.:0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक:लखनऊ, नवम्बर 17 2024

विषय– Application U/s 482 no. 22859/2024 बीरेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 में प्रदेश के थानों में लम्बित पड़े वाहनों के निस्तारण हेतु अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदया / महोदय,

आप अवगत है कि प्रदेश के थानों में पिछले काफी समय से अत्यधिक संख्या में पुराने वाहन निस्तारण हेतु लम्बित पड़े हैं, जिसमें पुरानी कारें, ट्रकें, थ्री–व्हीलर, मोटरसाइकिल, स्कूटर व अन्य वाहन शामिल हैं। मुख्यालय द्वारा संकलित की गयी सूचना के अनुसार उ0प्र0 के विभिन्न थानों में कुल 78288 वाहन अनिस्तारित पड़े हुये हैं, थाना परिसर में अव्यवस्थित पड़े इन वाहनों का सत्यापन कराकर निस्तारण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में इस मुख्यालय स्तर से पूर्व में भी पार्श्वांकित परिपत्र निर्गत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है, परन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से पूर्व में निर्गत दिशा–निर्देशों का कमिश्नरेट / जनपदों द्वारा पर्याप्त रूचि लेकर अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

> डीजी परिपत्र संख्या–35 / 00 दि0 18.10.2000
> डीजी परिपत्र संख्या–44 / 05 दि0 06.09.2005
> डीजी परिपत्र संख्या–61 / 14 दि0 29.09.2014
> डीजी परिपत्र संख्या–24 / 15 दि0 15.04.2015
> डीजी परिपत्र संख्या–78 / 15 दि0 14.12.2015
> डीजी परिपत्र संख्या–37 / 24 दि0 18.09.2024
> पत्र स0–जॉजि0–156 / 2023(OPERATION LIHAN) दि0 26.09.2023

आप सहमत होंगे कि वाहनों का ससमय विधिनुकूल निस्तारण न होने के कारण जहां एक ओर थानों के परिसर में काफी अधिक संख्या में वाहन पड़े रहते है, जिसका सही ढंग से रख–रखाव नहीं हो पाता है वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय सम्पत्ति की क्षति भी होती है। वाहनों के समय से निस्तारण न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आपत्ति प्रकट की गयी है। वाहनों के रख–रखाव व निस्तारण के सम्बन्ध में पुलिस रेगुलेशन के अध्याय–14 में वर्णित प्रस्तर–165 से 173 तक स्पष्ट रूप से प्रक्रिया उल्लिखित है। थानों में निस्तारण हेतु लम्बित पड़े वाहनों में मुख्य रूप से माल मुकदमाती, लादावा / लावारिस तथा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन हैं।

सूच्य है कि भारत सरकार द्वारा 03 नये कानून प्रख्यापित किये गये हैं, जिन्हें पूरे देश में दिनांक 01.07.2024 से लागू किया गया है। प्रख्यापित नये कानून BNSS

2023 की धारा 497(1), 503 में सम्पत्ति की अभिरक्षा और निपटारा के सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है। नवीन आपराधिक अधिनियमों की निर्दिष्ट धाराओं के अन्तर्गत पंजीकृत हो रहे अभियोगों से सम्बन्धित वाहनों का निस्तारण उपरोक्त धाराओं में वर्णित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कराया जाय।

लावारिस वाहनों के निस्तारण की प्रक्रियाः—

लावारिस वाहनों के निस्तारण के सम्बन्ध में POLICE ACT 1861 की धारा 27 में उल्लेख किया गया है कि यदि 06 महीने तक लावारिस वस्तु (UNCLAIMED PROPERTY) के सम्बन्ध में कोई दावेदार नहीं आता है तो जिला का मजिस्ट्रेट नीलामी की प्रक्रिया करा सकता है। प्रायः लावारिस वाहनों के निस्तारण में कठिनाई नहीं आती है। उ0प्र0 पुलिस के विभिन्न जनपदों द्वारा समय—समय पर लावारिस वाहनों की नीलामी करायी भी जाती है।

माल मुकदमाती वाहनों के निस्तारण की प्रक्रियाः—

मुकदमें से सम्बन्धित माल मुकदमाती वाहनों के निस्तारण में कठिनाई आती है क्योंकि ऐसे वाहन न्यायालय के आदेशों के अधीन थानों में रखे गये हैं। ऐसे वाहनों को बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के निस्तारित नहीं किया जा सकता है। CrPC/BNSS के प्राविधानों के अनुसार इस प्रकार के माल मुकदमाती वाहन को इसके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका(क्रि0) संख्या—2745/2002 सुन्दर भाई अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य में विचाराधीन अभियोगों से सम्बन्धित माल मुकदमाती के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश दिये गये थे, जो निम्नवत है—

Section 451 Cr.PC clearly empowers the Court to pass appropriate orders with regard to such property, such as-

(1) for the proper custody pending conclusion of the inquiry or trial;

(2) to order it to be sold or otherwise disposed of, after recording such evidence as it think necessary;

(3) if the property is subject to speedy and natural decay, to dispose of the same.

It is submitted that despite wide powers proper orders are not passed by the Courts. It is also pointed out that in the State of Gujarat there is Gujarat Police Manual for disposal and custody of such articles. As per the Manual also, various circulars are issued for maintenance of proper registers for keeping the muddamal articles in safe custody.

In our view, the powers under Section 451 Cr.P.C. should be exercised expeditiously and judiciously. It would serve various purposes, namely:-

1. Owner of the article would not suffer because of its remaining unused or by its misappropriation.
2. Court or the police would not be required to keep the article in safe custody;

3. If the proper panchanama before handing over possession of article is prepared, that can be used in evidence instead of its production before the Court during the trial. If necessary, evidence could also be recorded describing the nature of the properly in detail; and
4. This jurisdiction of the Court to record evidence should be exercised promptly so that there may not be further chance of tampering with the articles.....

In a criminal case, the police always acts under the direct control of the Court and has to take orders from it at every stage of an inquiry or trial. In this broad sense, therefore, the Court exercises an overall control on the actions of the police officers in every case where it has taken cognizance.

.....

In our view, whatever be the situation, it is of no use to keep such-seized vehicles at the police stations for a long period. It is for the Magistrate to pass appropriate orders immediately by taking appropriate bond and guarantee as well as security for return of the said vehicles, if required at any point of time. This can be done pending hearing of applications for return of such vehicles.

In case where the vehicle is not claimed by the accused, owner, or the insurance company or by third person, then such vehicle may be ordered to be auctioned by the Court. If the said vehicle is insured with the insurance company then insurance company be informed by the Court to take possession of the vehicle which is not claimed by the owner or a third person. If Insurance company fails to take possession, the vehicles may be sold as per the direction of the Court. The Court would pass such order within a period of six months from the date of production of the said vehicle before the Court. In any case, before handing over possession of such vehicles, appropriate photographs of the said vehicle should be taken and detailed panchnama should be prepared.

.....

However these powers are to be exercised by the concerned Magistrate. We hope and trust that the concerned Magistrate would take immediate action for seeing that powers under Section 451 Cr.P.C. are properly and promptly exercised and articles are not kept for a long time at the police station, in any case, for not more than fifteen days to one month.

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्तांकित आदेश के क्रम में प्रदेश के जनपदों में अनुपालन कराया जाना आज्ञापक है।

प्रदेश के विभिन्न मा0 न्यायालयों में पूर्ववर्ती आपराधिक अधिनियमों में वर्णित धाराओं के अभियोग विचाराधीन हैं, ऐसे अभियोगों से सम्बन्धित वाहन अभी भी अनिस्तारित होंगे। माल मुकदमाती वाहनों के अतिरिक्त थानों पर काफी संख्या में लावारिस वाहन अनिस्तारित पड़े है, अतः ऐसे वाहनों के निस्तारण हेतु निम्न निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएः–

- प्रदेश के समस्त थानों पर काफी समय से लम्बित पड़े वाहनों की सूची तैयार कराकर प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन अवश्य करा लिया जाये, जिससे वाहनों के रजिस्ट्रेशन संख्या, इंजन नम्बर, चेचिस नम्बर आदि के आधार पर वास्तविक वाहन स्वामी की जानकारी प्राप्त हो सके। तदोपरान्त इस सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाय।
- ऐसे वाहन जिसके सम्बन्ध में वाहन स्वामी की पहचान निश्चित होने की दशा में आवश्यकता पड़ने पर वाहन को वापस करने के लिए उसके स्वामी से लिखित बाण्ड/गारण्टी/जमानत लेकर उसे वापस किये जाने हेतु वाहन का फोटो लेकर और सुपुर्दगी मेमों तैयार कर अग्रिम कार्यवाही की जाय।
- वाहन स्वामी की पहचान न होने की स्थिति में नियमानुसार मा0 न्यायालय से आदेश प्राप्त कर वाहन की नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाए। आवश्कतानुसार डीसीआरबी, एससीआरबी, एनसीआरबी, ट्रांसपोर्ट विभाग अथवा वाहन निर्माता से जानकारी प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय।
- सभी थाना प्रभारी अपने थाने के मालखाना रजिस्टर में अंकित प्रत्येक वाहन, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा निर्णीत होने के पश्चात फैसला प्राप्त हो गया हो तो माल रजिस्टर में की गयी प्रविष्टि के समक्ष यह अंकित किया जाए कि किस न्यायालय में किस दिनांक में क्या निर्णय हुआ। रजिस्टर नम्बर–8 के भाग–3 से भी इसमें मदद ली जा सकती है।
- थानों पर जो वाहन लावारिस पड़े है उनकी अतिशीघ्र जनपद के अन्दर तथा पड़ोसी जनपदों में नियमानुसार विज्ञप्ति करा दी जाय। ऐसी विज्ञप्ति को सभी सार्वजनिक स्थानों पर जैसे थाना, ब्लाक, तहसील एवं कचेहरी परिसर में कई स्थानों पर चस्पा कराया जाय। इस विज्ञप्ति के 06 माह अवधि के बाद जिला स्तर अथवा तहसील स्तर पर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नियमानुसार नीलामी करायी जाये।
- थानों में लम्बित पड़े लावारिस/लादावा वाहनों की सूची बनाकर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के माध्यम से यथाशीघ्र, नीलामी की प्रकिया से पूर्व बस, ट्रक, कार, स्कूटर, मोटर साइकिल आदि का मूल्यांकन सक्षम अधिकारी से कराकर उसकी कीमत निर्धारित करा ली जाय। मूल्यांकन हेतु परिवहन विभाग के अधिकारियों का सहयोग अवश्य लिया जाए।
- ऐसे वाहन की नीलामी में यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाय कि कोई भी पुलिस अधिकारी/कर्मचारी या मजिस्ट्रेट का प्रतिनिधि उक्त नीलामी का लाभार्थी न बने और न ही उन्हें अथवा उनके सम्बन्धियों को उक्त गाड़ियॉ नीलाम की जाये।
- मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में इंट्रीग्रेटेड सिंगल विन्डो पोर्टल एवं अन्य विवरण के सम्बन्ध में वाहनों को सीज करने, रिलीज करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

- सीसीटीएनएस में वाहन सम्बन्धी सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को सम्बंधित फार्म जैसे केस प्रापर्टीज (IIF–2 फार्म), जब्ती (IIF–4 फार्म) व लावारिस/परित्यक्त (लावारिस/परित्यक्त फार्म) इत्यादि में शत–प्रतिशत दर्ज करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में डिजिटल डेटा बैंक तैयार हो सके व आवश्यकतानुसार अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।
- जनपदों के थानों में लम्बित पड़े वाहनों का अभियान चलाकर विधिनुकूल निस्तारण करायें तथा इसकी समीक्षा क्षेत्राधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से साप्ताहिक रूप से एवं अपर पुलिस अधीक्षक/सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर से पाक्षिक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त स्तर से मासिक समीक्षा करते हुये अपना मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- जनपदों में लम्बित पड़े वाहनों/मालों के निस्तारण के सम्बन्ध में समय–समय पर मुख्यालय स्तर से डीजी परिपत्र निर्गत कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए है। जिसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

मै चाहूंगा कि पत्र में इंगित सभी बिन्दुओं का आप गहराई से अध्ययन कर लें और इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ अपर पुलिस अधीक्षकों, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारियों, क्षेत्राधिकारियों एवं थानाध्यक्षों की होने वाली मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी में स्पष्ट निर्देश दे तथा इस कार्य में क्षेत्राधिकारियों/सहायक पुलिस आयुक्तों की भूमिका निर्धारित करते हुए वाहनों का निस्तारण कराये एवं यह भी सुनिश्चित करें कि जनपद स्तर पर मालखानों के रख–रखाव के सम्बन्ध में कोई लापरवाही न बरती जाए और आप अपने रतर रो थानों/मालखानों का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कर लम्बित पड़े वाहनों का निस्तारण करायें।

भवदीय

17. XI. 2

(प्रशान्त कुमार)

1. समस्त पुलिस आयुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
   पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज,
   उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।